



आयुष्मान भारत 'निरामयम्'
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, मध्यप्रदेश

आई.ई.सी ब्यूरो, प्रथम एवं द्वितीय तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल म.प्र.
www.ayushmanbharat.mp.gov.in | दूरभाष-0755-2763386



F

क्रमांक/एसएचए/एबी/2025/4746

भोपाल, दिनांक 01/08/2025

प्रति,

जिला आयुष्मान नोडल अधिकारी (DHO-2),
समस्त जिला (म.प्र.)

विषय- दिनांक 3 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंगदान दिवस समारोह, प्रदेश में PPP मॉडल पर आधारित 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयकी स्थापना हेतु अनुबंध हस्ताक्षर तथा आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत नवाचारों के शुभारंभ कार्यक्रम में आयुष्मान नोडल अधिकारी की उपस्थिति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजनांतर्गत मध्यप्रदेश में हितग्राहियों की सुविधाओं में वृद्धि एवं निर्बाधित रूप से त्वरित लाभ प्रदाय करने हेतु राज्य स्वास्थ्य एजेंसी म.प्र. द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरण व संतृप्ति अभियान, आयुष्मान सखी, सेहत सेतु प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। इस प्रकार प्रयास करने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है, जिसका राज्यव्यापी शुभारंभ दिनांक 3 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन किया द्वारा जाएगा।

जिला स्तर पर आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वन एवं समन्वय हेतु जिला आयुष्मान नोडल अधिकारी के रूप में जिला स्वास्थ्य अधिकारी(DHO-2) कार्यरत है। उक्त कार्यक्रम में जिला आयुष्मान नोडल अधिकारी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है।

अतः उपरोक्त अनुसार माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 3 अगस्त 2025 को स्वर्ण जयंती सभागार, नोरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, भोपाल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जिला आयुष्मान नोडल अधिकारी नियत समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(तरुण राठी)

आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/ एसएचए/एबी/2025/4747

भोपाल, दिनांक 01/08/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम्' मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर, समस्त जिला (म.प्र.)।
4. वित्त अधिकारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम्' मध्यप्रदेश।
5. महाप्रबंधक(विधि/ऑपरेशन/आईटी/शिकायत), आयुष्मान भारत 'निरामयम्' मध्यप्रदेश।
6. संभाग प्रभारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम्' मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), समस्त जिला (म.प्र.)।

आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश